न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 38/2018

1. जोतराम पुत्र निहालसिंह
2. विजयसिंह पुत्र निहालसिंह

} जाति जाट निवासी सूरौता तहसील कुम्हेरर जिला भरतपुर।

.......अपीलान्टान

बनाम

1. जनगसिंह पुत्र मिठठे
2. किशनसिंह
3. चन्द्रपाल उर्फ किरनपाल

} पिस0 जगनसिंह

4. राजवीरी बेवा तुलाराम
5. अजय पुत्र तुलाराम
6. विजय पुत्र तुलाराम
7. आरती पुत्री तुलाराम

} जातियान जाट उनिवासी सूरौता तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

.......असल रेस्पोडेन्टान

8. जवाहर
9. रामजीत

} पिसरान निहालसिंह जाति जाट निवासी सूरौता तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.........तरतीवी रैस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 12.12.2014 तहसीलदार कुम्हेर। नामान्तरकरण संख्या 2172 बाके ग्राम डहरा तहसील कुम्हेर।

उपस्थित :- 1. श्री नीरपाल सिह, अभिभाषक अपीलान्टान

2. श्री विनोद कुमार, अभिभाषक रैस्पो0 7

निर्णय

दिनांकः 17.02.2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 12.12.2014 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तरकरण संख्या 2172 ग्राम डहरा तहसील कुम्हेर रैस्पो0 के हक में स्वीकार किये की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 2172 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलवी की गई है। बकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि नामान्तरकरण 2172 दिनांक 12.12.2017 सहायक कलक्टर कुम्हेर के निर्णय/डिक्री दिनांक 21.09.2014 की पालना में खोला गया। उन्होने यह भी जाहिर किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर में एक दावा असल रैस्पो0 सं0 4 लगायत 7 के पति व पिता तुलाराम पुत्र जगनसिंह द्वारा विरूद्ध रैस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 तथा जगनसिंह की पुत्री ममता उर्फ मूर्ति एवं सन्तो उर्फ लक्ष्मी ने इस आशयका प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 115/0.52 निस्फहिस्सा एवं ग्राम सूरौता में दर्ज आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा असल रैस्पो0 की पैतृक आराजी है जिसमें असल रैस्पो0 संख्या 4 लगायत 7 के पिता व पति तथा रैस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 एवं ममता उर्फ मूर्ती एवं सन्तो उर्फ लक्ष्मी वहिस्सा बराबर के काविज खातेदार काश्तकार है परन्तु हाल रिकार्ड में अकेले रैस्पो0 संख्या 1 के नाम गलत रूप से दर्ज है जिसे कलमजन कराकर समस्त रैस्पो0 असल एवं ममता व सन्तो मुताविक हिस्सा 1/6–1/6 व हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि असल रैस्पो0 संख्या 4 लगायत 7 के पति/पिता एवं रैस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 एवं ममता उर्फ मूर्ती व सन्तो उर्फ लक्ष्मी द्वारा दिनांक 03.10.2013 को राजीनामा न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर के यहां पेश किया। न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर की मिसिंल संख्या 114/2013 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 21.09.2014 में राजीनामा दावा डिक्री किया जाकर खसरा नम्बर 115/0.52 में असल रैस्पो0 जगनसिंह को 1/6 हिस्से का एवं शेष आराजी मे तुलाराम, किशन, चन्द्रपाल उर्फ किरनपाल को व हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। निर्णय/डिक्री आदेश दिनांक 21.09.2014 की पालना में खोले गये अपीलाधीन दाखिल खारिज नम्बर 2172 दिनांक 12.12.2014 को दर्ज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

करते समय कॉलम संख्या 7 में तो अपीलान्टान एवं तरतीवी रैस्पो0 का निरफ हिस्सा दर्ज कर दिया परन्तु कॉलम संख्या 9 में इन्द्राज दर्ज करते समय जगनसिंह 1/6 हिस्सा और तुलाराम, किशनी, चन्द्रपाल उर्फ किरनपाल व हिस्सा बराबर 5/6 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया और अपीलान्टान एवं तरतीवी रैस्पो0 का नाम विलोपित कर दिया। उन्होने यह भी जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने बिना मौके व कब्जे की जांच किये एवं बिना राजस्व रिकार्ड एवं न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर के निर्णय/डिक्री दिनांक 21.09.2014 का अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्टान को सर्व प्रथम अपीलधीन आदेश की जानकारी दिनांक 27.05.2018 को तब हुई जब किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तब पटवारी हल्का आराजी खसरा नम्बर 115/0.52 के इन्द्राजों की जानकारी दी। जानकारी होते ही अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने हेतु दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक रैस्पो0 ने जाहिर किया कि तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर ने अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण सख्या 2172 दिनांक 12.12.2014 माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर के निर्णय/डिक्री दिनांक 21.09.2014 की पालना में खोला गया है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलान्टान एवं तरतीवी रैस्पो0 के इन्द्राज रह गये है जो जांच का बिन्दु है। अतः प्रकरण को जांच हेतु तहसीलदार कुम्हेर को भेजा जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 2172 दिनांक 12.12.2014 का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 2172 के कॉलम संख्या 7 में जगनसिंह पुत्र मिटठू निरफ हिस्सा दर्ज है, इसके स्थान पर कॉलम संख्या 9 में जगनसिंह पुत्र मिट्ठू हिस्सा 1/6, तुलाराम, किशनी, चन्द्रपाल सिह उर्फ किरनपाल सिंह पिसरान जगनसिंह हिस्सा 5/6 बराबर दर्ज किया गया है एवं विशिष्टियों वाले कॉलम में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (मु.)

सहायक कलक्टर कुम्हेर के निर्णय दिनांक 21.09.2014 की पालना नामान्तरकरण खोला जाना अंकित है। मुताविक निर्णय दिनांक 21.09.2014 "वाद वादी मुताविक राजीनामा इस प्रकार डिकी किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 35 / 0.39, 79 / 0.17, 302 / 0.46, 687 / 0.14, 823 / 0.15, 828 / 0.29, 871 / 1712 / 011, 873 / 0.30, 900 / 0.22 किता 9 रकवा 2.23 हैक्ट0 वाकै ग्राम सूरौता में सम्पूर्ण व आराजी हाल खसरा नम्बर 115 / 0.52 हैक्टे0 वाकै ग्राम डहरा तहसील कुम्हेर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे निरफ हिस्से के इन्द्राजात कलमजन किये जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 जगनसिंह को उक्त आराजीयात में 1 / 6 हिस्से का तथा शेष आराजी में वादी तुलाराम प्रतिवादी किशनी, चन्द्रपाल सिंह उर्फ किरनपाल को व हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।" उक्त निर्णयानुसार जगनसिंह के नाम आराजी खसरा नम्बर 115 में 1 / 6 हिस्सा दर्ज करने के उपरान्त 1 / 3 हिस्सा शेष बचता है जो मुताविक निर्णय तुलाराम, किशनी, चन्द्रपाल उर्फ किरनपाल के नाम वहिस्सा बराबर 1 / 3 दर्ज किया जाना था, जो कि 5 / 6 दर्ज किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर के निर्णय की पालना में नामान्तरकरण दर्ज करते समय हिस्सों के अंकन में त्रुटि कारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2014 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार कुम्हेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नामान्तरकरण में हिस्सों के इन्द्राज के बारे में पुनः जांच कर साक्ष्य वगैरा लेकर पक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भुसावर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)